हिन्दी विभाग
डॉक्टर हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर (म.प्र.)–470003
(केन्द्रीय विश्वविद्यालय)

फोन नं. – (07582) 264366

क्रमांक – हिन्दी/608 दिनांक : 18.01.2016

कोटेशन आमंत्रण

बुंदेली पीठ, हिन्दी विभाग, डॉक्टर हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर द्वारा प्रकाशित होने वाली पत्रिका 'ईसुरी' के 20वें अंक के मुद्रण हेतु दिये गये विनिर्देशों के अनुसार पंजीकृत मुद्रकों से सीलबंद कोटेशन आमंत्रित किये जाते हैं।

1.	पत्रिका का आकार	20"×30"×8"
2.	पत्रिका की प्रतियों की संख्या	500 प्रतियाँ
3.	पृष्ठ संख्या (श्वेत श्याम)	152 लगभग
4.	कागज़ का प्रकार	90 जीएसएम(नेचुरल सेड)
5.	टाइटल कवर (मल्टीकलर)	300 जीएसएम (मेट लेमीनेशन के साथ)
6.	टंकण, कम्पोजिंग एवं कवर डिजाइन	मुद्रक की ओर से
7.	मुद्रित कोरियर लिफाफे	500
8.	आदेश प्राप्त होने के बाद छपने हेतु निर्धारित समय	15 दिन

आमंत्रित कोटेशन **बुंदेली पीठ, हिन्दी विभाग, डॉक्टर हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर (म.प्र.)–470003** के पते पर पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट द्वारा दिनांक 25.01.2016 को सायं 04:00 बजे तक अनिवार्य रूप से प्राप्त हो जाने चाहिए। इस तिथि के बाद प्राप्त होने वाले कोटेशन पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। कोटेशन के संबंध में विश्वविद्यालय प्रशासन का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।

18-01-16

प्रधान सम्पादक
ईसुरी

प्रति,

नियम व शर्तें –

1. महज न्यूनतम राशि के प्रस्ताव से मुद्रक/प्रकाशक/फर्म कार्यादेश प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा। सक्षम समिति/प्राधिकारी किसी भी निविदा को विशिष्टताओं (Specifications) के अनुपालन, फर्म के कार्यानुभव, प्रामाणिक कार्यक्षमता, ब्रांड प्रतिष्ठा, अतिरिक्त/विशेष प्रस्ताव एवं उचित मूल्य के आधार पर चयनित करेगी। इच्छुक मुद्रक/प्रकाशक/फर्म कोटेशन के साथ नमूना अवश्य संलग्न करें।
2. निविदाओं को केवल **स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक** से ही स्वीकार किया जायेगा। हाथों–हाथ/फैक्स/ई–मेल/कोरियर आदि से प्रेषित निविदाओं स्वीकार नहीं किया जायेगा।
3. निर्धारित अंतिम तिथि के बाद प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा।
4. सभी निविदाकर्त्ताओं को निविदा के साथ धरोहर राशि रु. 1000/–(रु. एक हजार मात्र) जमा करना अनिवार्य है। निविदा स्वीकृति के उपरान्त सफल निविदाकर्त्ता को कार्यादेश प्राप्त करने से पूर्व प्रदत्त कार्य की कुल राशि का 10 प्रतिशत सुरक्षा राशि के रूप में कार्यालय में जमा करना होगा जिसे धरोहर राशि के साथ भी समायोजित की जा सकती है।
5. धरोहर राशि एवं सुरक्षा निधि बैंक मांग पत्र के रूप में ही मान्य होगी।
6. **तकनीकी एवं वित्तीय निविदा दो अलग–अलग सीलबन्द लिफाफों में प्रस्तुत करना अनिवार्य है। उक्त दोनों निविदाओं(तकनीकी एवं वित्तीय) को एक सीलबन्द बड़े लिफाफे में भेजना होगा।**
7. तकनीकी निविदा में धरोहर राशि, मुद्रण का नमूना, पूर्व में किए गए कार्यों का विवरण, उपलब्ध मशीनरी : ऑफसेट मशीन, कटिंग मशीन, बाइंडिग मशीन, कम्प्यूटर, स्केनर आदि की उपलब्धता, सरकारी संस्थाओं के प्रकाशन कार्य करने के अनुभव का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। फर्म/प्रकाशक/मुद्रक के पास टिन एवं पैन संख्या अवश्य होनी चाहिए।
8. वित्तीय निविदा में निविदाकर्त्ता भुगतान हेतु अपने बैंक खाते का पूर्ण विवरण अनिवार्यतः दें।
9. मुख्य दर में यदि कोई कर/छूट भी सम्मिलित है तो वित्तीय निविदा में उसका स्पष्ट उल्लेख किया जाना चाहिये। स्पष्ट उल्लेख न होने पर करों को मुख्य दर में सम्मिलित समझा जायेगा।
10. कार्य के निष्पादन हेतु निर्धारित समयसीमा के भीतर कार्य पूर्ण न होने पर फर्म/मुद्रक/प्रकाशक को दण्ड स्वरूप प्रतिदिन कार्यादेश की राशि के 1 प्रतिशत की दर से अधिभार देना होगा। अधिकतम अधिभार की सीमा 5 प्रतिशत तक होगी।
11. विश्वविद्यालय के हित में, आवश्यक होने पर, कार्यादेश में अतिरिक्त नियम व शर्तें जोड़ी जा सकते हैं।
12. विश्वविद्यालय किसी भी निविदा को आंशिक या पूर्ण रूप से स्वीकारने/नकारने या किसी भी समय कम मूल्य का प्रस्ताव प्राप्त होने पर उसे स्वीकार करने हेतु स्वतंत्र होगा। विशिष्टताओं में या अन्य किसी भी प्रकार के परिवर्तन/निरस्तीकरण का अधिकार विश्वविद्यालय के पास सुरक्षित रहेगा।
13. कोटेशन से संबंधित किसी विवाद की स्थिति में सभी विधिक मामलों की सुनवाई हेतु न्याय का क्षेत्राधिकार, सिविल न्यायालय, सागर होगा।
14. अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण कार्य का भुगतान देय नहीं होगा।
15. निविदा की नियम एवं शर्तों के अलावा अन्य कोई शर्तें निविदा के लिए मान्य नहीं होगा।
16. प्रकाशन के पूर्व लिखित में प्रूफ मान्य किया जाना वांछित है।

17. पत्रिका के आकार, डिजाइन, कागज एवं अन्य जानकारी के लिये इस विभाग में आकर पत्रिका की प्रति देखी जा सकती है।
18. कार्य निष्पादन हेतु किसी प्रकार की अग्रिम राशि देय नहीं होगी।
19. पत्रिका के मुद्रण हेतु अनुमानित राशि रु. 50,000/-(रु. पचास हजार मात्र) होगी जो कम या अधिक भी हो सकती है।
20. तकनीकी रूप से उचित पायी गयी निविदाओं में से न्यूनतम दर वाली निविदा को ही कार्यादेश दिया जावेगा किंतु उसके पूर्व चयनित फर्म से कुल क्रयादेश राशि की दस प्रतिशत की सुरक्षा निधि राशि का धनादेश जो कि **"कुलसचिव, डॉक्टर हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर (म.प्र.)"** के नाम देय होगा, जमा करना होगा। उक्त सुरक्षा निधि, कार्य पूर्ण होने के पश्चात 45 दिन में वापिस कर दिया जावेगा। यदि कार्य समय पर एवं गुणवत्ता पूर्वक न हुआ तो यह राशि जब्त कर ली जावेगी।
21. यदि चयनित निविदाकर्त्ता निर्धारित समय सीमा के अन्दर कार्य पूर्ण करने में असमर्थ होता है, तो विश्वविद्यालय को यह पूर्ण अधिकार होगा कि वह इस कार्य को किसी अन्य मुद्रक/फर्म/प्रकाशक से संपादित करवा ले। इस हेतु आयी अतिरिक्त लागत का भुगतान उक्त चयनित निविदाकर्त्ता द्वारा जमा की गई सुरक्षा राशि से समायोजित किया जा सकेगा।
22. मुद्रण के उपरान्त प्रतियाँ बिना किसी अतिरिक्त व्यय के हमारे कार्यालय में देना होगा।

प्रधान सम्पादक
ईसुरी